छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 2011
(फाल्गुन-4, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 तथा 11 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 09 एवं 10 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री विरेन्द्र कुमार साहू एवं श्री टी.एस.सिंहदेव अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 08 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री भजन सिंह निरंकारी के स्थान पर श्री परेश बागबाहरा अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 16 तारांकित एवं 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपे जाने संबंधी घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रश्नोत्तर सूची के तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्रमांक 883) *इंटीग्रेटेड वॉटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम का क्रियान्वयन* NGO को सौंपे जाने से संबंधित विषय एवं समस्त उद्भूत विषय को जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपने की घोषणा की।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रदेश में स्मार्ट कार्ड योजना में अव्यवस्था व्याप्त होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह सदस्य ने जिला सरगुजा स्थित माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा किसानों से गन्ना खरीदी में लापरवाही किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री महंत रामसुन्दर दास, सदस्य ने जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम धमनी का विद्युत तार एवं खंभों को सुधारे जाने,

(2) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य ने लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में आयु सीमा का निर्धारण नहीं किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य ने मरवाही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-
- (i) ग्राम कटरा में हाई स्कूल खोलने,
- (ii) ग्राम पंचायत बसंतपुर के आश्रित ग्राम पनकोटा के बीच नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(2) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने खल्लारी विधान सभा अंतर्गत-
- (i) ग्राम बिराजपाली-डोंगाझर मार्ग में नाले पर पुल निर्माण करने,
- (ii) ग्राम फुटगुना-गड़बेड़ा मार्ग पर पुल निर्माण करने,
- (iii) ग्राम भलेसर-धौराभाठा मार्ग पर पुल निर्माण करने,
- (iv) ग्राम लामाडीह-सोनासिल्ली मार्ग पर पुल निर्माण करने,
- (v) जोंक नदी किनारे के ग्रामों में 22 इंटेकवेल निर्माण करने,

(vi) ग्राम बेल्डीह-बोईरलामी मार्ग पर पुल निर्माण करने,

(vii) ग्राम दरबेकेरा के पास कांदाझरी नाले में एनीकट निर्माण करने,

(viii) ग्राम देवरी एवं खुर्सीपार के मध्य नाले पर पुल निर्माण करने,

(ix) ग्राम कमरौंद में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने,

(x) ग्राम धनोरा में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने, तथा

(xi) ग्राम भलेसर में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत कीं ।

6.महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमशः)

सर्वश्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, ताम्रध्वज साहू, जगेश्वर राम भगत, अमरजीत भगत (जारी)

(श्री लखमा कवासी (अनुपस्थित))

(1.30 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अमरजीत भगत, फूलचंद सिंह, डॉ.शक्राजीत नायक, श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ.सुभाऊ कश्यप, श्री सौरभ सिंह, श्रीमती अंबिका मरकाम,

(श्री भजन सिंह निरंकारी, श्री शिवराज सिंह उसारे, श्रीमती रेणुका सिंह, श्री भीमा मंडावी (अनुपस्थित))

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री संतोष बाफना, रामदयाल उइके, खेदूराम साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्रीमती लक्ष्मी बघेल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री राजू सिंह ठाकुर, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी,

(डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री ब्रम्हानंद, बोधराम कंवर, रामपुकार सिंह, हृदयराम राठिया (अनुपस्थित))

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्रीमती सुमित्रा मारकोले (जारी)

सायं 5.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 24 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 5, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा